मीरजापुर पुलिस
प्रेस नोट
दिनांकः 03.04.2024

थाना चुनार व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अनुमानित कीमत ₹ 15 लाख के गांजा व तस्करी में प्रयुक्त वाहन (02 अदद मोटर साइकिल) के साथ 03 गांजा तस्कर गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "अभिनन्दन"द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ , अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की निर्माण/तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर की जा रही कार्यवाही में थाना चुनार पुलिस व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांकः 03.04.2024 थाना चुनार पुलिस व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार थाना चुनार क्षेत्रांतर्गत ग्राम सीखड़ गंगा नदी के किनारे पार्वती मंदिर के पास से 03 गाँजा तस्करों 1. मुकेश साहनी पुत्र रामबली साहनी निवासी सरैया थाना पड़री जनपद मीरजापुर, 2. सोएब अंसारी उर्फ साहब पुत्र स्व0 नगीना निवासी पड़री थाना पड़री जनपद मीरजापुर व 3. दीपक गुप्ता पुत्र राजकपूर गुप्ता निवासी पड़री थाना पड़री जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के पास से 02 बोरे में 25-25 किलो ग्राम (कुल 50 किलो ग्राम) अवैध गांजा बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चुनार पर मु0अ0सं0-107/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है। गांजा परिवहन में प्रयुक्त 02 अदद मोटर साइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस UP 63 AN 1224 व बजाज पल्सर UP 63 AZ 8561 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोगों द्वारा जनपद के बाहर से मांग के अनुसार गांजा लाकर जनपद के विभिन्न स्थानों पर सप्लाई की जाती है तथा गांजा बिक्री के पैसे को आपस में बांटकर भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

1. मुकेश साहनी पुत्र रामबली साहनी निवासी सरैया थाना पड़री जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 24 वर्ष।
2. सोएब अंसारी उर्फ साहब पुत्र स्व0 नगीना निवासी पड़री थाना पड़री जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 28 वर्ष।
3. दीपक गुप्ता पुत्र राजकपूर गुप्ता निवासी पड़री थाना पड़री जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी विवरण —

50 किलो ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत ₹ 15 लाख)
गांजा परिवहन में प्रयुक्त 02 अदद मोटर साइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस UP 63 AN 1224 व बजाज पल्सर UP 63 AZ 8561

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0स0-107/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चुनार जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय —

थाना चुनार क्षेत्रांतर्गत ग्राम सीखड़ गंगा नदी के किनारे पार्वती मंदिर के पास से, दिनांक:02.04.2024 को समय करीब 16.30 बजे

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार सिंह थाना चुनार मीरजापुर मय पुलिस टीम।
उप निरीक्षक संजय सिंह प्रभारी एसओजी मय पुलिस टीम।
उप निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस मय पुलिस टीम।